वित्तीय नियम संग्रह खण्ड संख्या – 5 भाग – 2
प्रपत्र संख्या/43 ए (1)
(प्रस्तर 413 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : .....
बैंक का IFSC कोड : .....
जिस व्यक्ति (पद नाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता : .....
पंजीकरण संस्था/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) : .....
जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) : .....
चालान की सकल राशि : .....
चालान की निबल राशि
लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर
लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
02 – बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क

मुख्य लेखा–शीर्षक				उप मुख्य शीर्षक		लघु शीर्षक			उप शीर्षक	
0	2	0	2	0	1	1	0	2	0	2

ब्यौरेवार शीर्षक			धनराशि अंकों में
0	1	हाईस्कूल संस्थागत् परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
0	2	हाईस्कूल व्यक्तिगत् परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
0	3	इण्टरमीडिएट संस्थागत् परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
0	4	इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत् परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
0	5	पंजीकरण शुल्क कक्षा–9	
0	6	पंजीकरण शुल्क कक्षा–11	
0	7	हाईस्कूल परीक्षा संन्निरीक्षा शुल्क	
0	8	इण्टरमीडिएट परीक्षा संन्निरीक्षा शुल्क	
0	9	कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क	
1	0	अंकपत्र/प्रमाणपत्र/अस्वामित्व प्रमाणपत्र/माईग्रेशन प्रमाणपत्र आदि हेतु शुल्क	

धनराशि (शब्दों में) .....

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

नोटः–1–जमाकर्ता विद्यालय द्वारा अपने जनपद कोड एवं विद्यालय कोड की संयुक्त 6 अंकीय User ID अपने नाम के पूर्व अंकित करना अनिवार्य है।
2–शुल्क जिस मद से सम्बन्धित हो उसकी धनराशि उसी मद के सम्मुख ही अंकित की जायेगी। एक चालान प्रपत्र से केवल एक ही मद की धनराशि जमा की जा सकती है। अलग–अलग मद की धनराशि हेतु अलग–अलग चालान प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा।

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

क्रम संख्या : .....
दिनांक : .....

अंकों में रुपये .....
शब्दों में रुपये .....

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित) (धनराशि रुपयों में)

नोट / सिक्के	
1000 ×	
500 ×	
100 ×	
50 ×	
20 ×	
10 ×	
5 ×	
2 ×	
1 ×	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	
योग	

टिप्पणी

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जिसे ऐसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हे बजट साहित्य के खण्ड 4 अथवा लोक लेखा खण्ड 2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में सहित्य के खण्ड 2 (लोक लेखा) तथा खण्ड 4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये खण्ड शीर्षक के स्तर के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया हो, ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा करने वाली धनराशि में पैसे का कोई प्रयोग है तो 50 पैसे से जमा का गयी धनराशि को छोड़ दिया जायगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायगी।